A1

31/2017 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 31/17

शंकर लाल पुत्र श्री रावताराम जाति मेघवाल साकिन 6एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. प्यारासिंह पुत्र खुशालसिंह साकिन 6 एफ बड़ा तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्री गंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

3. अमी लाल
4. सुखराम
5. सही राम
6. हेतराम

पिसरान श्री रावताराम अकवाम मेघवा सकनाए 6 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

तकमीलन रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्री गंगानगर दिनांक 18–07–14

उपस्थित :
1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री रामेश्वर लाल सुथार, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

दिनांक : 26–5–17

आदेश

हस्तगत अपील प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20–4–17 को प्रस्तुत प्रारम्भिक व कानूनी एतराजात का प्रार्थना पत्र जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपील जिस रकबा के इंतकाल आदेश दिनांक 18–7–14 के खिलाफ पेश की गई है, उसी रकबा चक 6 एफ बड़ा के मु0 नं0 46 के संबंध में पूर्व में ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 28–6–2000 के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर में पेश की गई जो अपील सं0 14/08 अनवानी नारायणराम बनाम अमी लाल, शंकर लाल आदि दिनांक 28–12–12 को निर्णित की गई तथा मामला तहसीलदार को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) भू0 राजस्व अभिलेख अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है। अतः अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपील सं0 14/08 में अपीलांट शंकर लाल रेस्पो0 सं0 5 के रूप में पक्षकार था तथा उसकी ओर से श्री राजन कुक्कड़ अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई थी। अपीलांट शंकरलाल को पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्टेज पर अपील खारिज फरमाई जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपजिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा अपील का निर्णय कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। रिमाण्ड आदेश के बाद तहसीलदार द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के तहत आदेश पारित नहीं किया है और न ही रेकार्ड में धारा 135(2) का हवाला दिया गया है। धारा 135(1) के तहत आदेश पारित किया गया है इसलिए अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। विवाद किला नं0 22 के 2 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम है इसलिए केवल प्रार्थी प्रभावित है। इस प्रकार निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 5(3) धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 2 नारायणदास बैनामी व्यक्ति है इसलिए न्यायालय द्वारा उसे पेश करने का आदेश दिया जाना चाहिये। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पोडेन्ट को दिलाई गई तथा प्रार्थना पत्र पर सुना गया। चूँकि अपील अपीलांट शंकर लाल द्वारा पेश की गई है तथा उसके द्वारा ही रेस्पो0 सं0 2 को पक्षकार बनाया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं है। इसी दौरान वकील अपीलांट ने जाहिर किया कि उन्हें रेस्पोडेन्ट सं0 2 से कोई अनुतोष नहीं चाहिये। इस पर उन्होनें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील के शीर्षक से रेस्पो0 सं0 2 का नाम विलोपित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसपर दोनों पक्षों को सुना जाकर, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा रेस्पो0 सं0 2 का नाम अपील के शीर्षक से विलोपित किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्री गंगानगर के प्रकरण सं0 31/13 में पारित निर्णय दिनांक 18–7–14 के खिलाफ पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 14/2000 नारायणराम द्वारा जरिये मुखत्यारेआम गुरदीपसिंह बनाम अमी लाल वगैरा जिसमें अपीलांट शंकर लाल बतौर रेस्पो0 सं0 5 है, पेश की गई थी, जिसमें दिनांक 28–12–12 को निर्णय पारित किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण पुनः निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। इसके अलावा मदन लाल अपीलांट द्वारा नारायणराम वगैरा के खिलाफ इस न्यायालय में तहसीलदार, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 18–7–14 के खिलाफ एक अपील पेश की गई जिसमें अपीलांट शंकर लाल बतौर रेस्पोडेन्ट सं0 4 पक्षकार था जिसका दिनांक 22–12–14 को निर्णय पारित कर, मामला 135(2) भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मानते हुए अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज कर दी गई थी। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कहा है कि तहसीलदार, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 18–7–14 के खिलाफ बार बार अपीलें की जा रही है जबकि मामला 135(2) भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में ही तय किया जा चुका है। अतः इस अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने तर्क के समर्थन में आर आर डी 1989 पेज 341 एवं आर आर डी मार्च, 2004 पेज 101 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इसी स्टेज पर अपील खारिज की जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

31/2017 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि उपजिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा अपील का निर्णय कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। रिमाण्ड आदेश के बाद तहसीलदार द्वारा साक्ष्य एवं सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के तहत आदेश पारित नहीं किया है और न ही रेकार्ड में धारा 135(2) का हवाला दिया गया है। धारा 135(1) के तहत आदेश पारित किया गया है इसलिए अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। विवादित भूमि किला नं0 22 के 2 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम है इसलिए केवल प्रार्थी प्रभावित पक्षकार है। अतः रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्री गंगानगर द्वारा उनके प्रकरण सं0 31/13 में पारित निर्णय दिनांक 18–7–14 के विरूद्व पूर्व में उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील सं0 14/2000 नारायणराम द्वारा जरिये मुखत्यारेआम गुरदीपसिंह बनाम अमी लाल वगैरा जिसमें अपीलांट शंकर लाल बतौर रेस्पो0 सं0 5 है, पेश की गई थी, जिसमें दिनांक 28–12–12 को निर्णय पारित किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, प्रकरण पुनः सुनवाई एवं निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। इसके अलावा मदन लाल अपीलांट द्वारा नारायणराम वगैरा के खिलाफ इस न्यायालय में तहसीलदार, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 18–7–14 के खिलाफ अपील पेश की गई, जिसमें अपीलांट शंकर लाल बतौर रेस्पोडेन्ट सं0 4 पक्षकार था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22–12–14 को निर्णय पारित कर, मामला 135(2) भू0 राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मानते हुए अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाकर अपील खारिज की जा चुकी है तथा पुनः उन्हीं आधारों पर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का विधिसम्मत् अधिकार नहीं है।

फलस्वरूप, रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक एवं कानूनी एतराजात का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 26–5–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/5/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner